संख्याः 24/1140/60-2-15-2/

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनाक 27 अप्रैल, 2015

विषयः-राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर पोषण सम्बन्धी अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु राज्य पोषण मिशन के तत्वाधान में मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा दो-दो ग्राम सभाएं गोद लेते हुए कुपोषण की रोकथाम हेतु आई0सी0डी0एस0 एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का गहन अनुश्रवण करते हुए आवश्यक प्रयास किये जा रहे है। इस हेतु आवश्यक है कि फील्ड स्तर पर इन कार्यक्रमों में संलग्न कार्मिकों एवं जन समुदाय में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु आवश्यक जागरूकता हो और सम्बन्धित कार्मिक यथा-आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा, ए0एन0एम0 (।।।), मुख्य सेविका, लेडी हेल्थ विजिटर (एल0एच0वी0)/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक आदि अपने दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए उनका निर्वहन भली भांति करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस माह के अन्त तक अपने पर्यवेक्षण में जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक ''पोषण हेतु आह्वान'' अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित करें जिनमें आप स्वयं अथवा आपके मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित रहें। इस कार्यशाला के आयोजन में निम्न बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाय-

1. कार्यशाला में विकास खण्ड के समस्त ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा एवं ए0एन0एम0 (।।।), द्वारा प्रतिभाग किया जाय।
2. कार्यशाला में मुख्य सेविका, लेडी हेल्थ विजिटर (एल0एच0वी0)/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एम0ओ0आई0सी0) भी उपस्थित हों।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. सम्बन्धित विकास खण्ड में आच्छादित विभिन्न ग्राम सभाओं को गोद लेने वाले सभी जनपद स्तरीय अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित हों।

4. कार्यशाला में प्रतिभागियों को पोषण सम्बन्धी जानकारी एवं कुपोषण की रोकथाम हेतु विभिन्न स्तरों यथा प्रधान/एन0एन0एम0/आंगनवाड़ी कार्यकत्री / आशा के दायित्वों आदि पर अभिमुखीकृत करने हेतु एक सैम्पल प्रस्तुतीकरण दिनांक 27.03.2015 को प्रदेश स्तर पर सम्पन्न मुख्य विकास अधिकारियों की बैठक में उपलब्ध करा दिया गया है। यह प्रस्तुतीकरण राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0 की वेबसाइट **www.snmup.in** पर भी उपलब्ध है।

5. कुपोषण की रोकथाम हेतु चिन्हित दस प्रभावी पोषण हस्तक्षेपों **(Ten Low Cost–High Impact Interventions)** की विशेष भूमिका है (संलग्नक-1)। उक्त हस्तक्षेपों का प्रभाव तभी व्यापक होगा जब जनसमुदाय को इन हस्तक्षेपों के सम्बन्ध में जानकारी हो और वह इन हस्तक्षेपों हेतु जागरूक हो।

6. उक्त के आलोक में कार्यशाला में इस बात पर बल दिया जाय कि जनसमुदाय में पोषण स्तर के सम्बन्ध में जागरूकता में वृद्धि हो और वह सेवायें लेने आंगनवाड़ी केन्द्र/उपकेन्द्र तथा चिकित्सा इकाई में जाकर सेवाओं की मांग करें। इस हेतु कार्यशाला में आये हुये सभी प्रतिभागियों को पोषण हेतु दी जाने वाली सेवाओं तथा कुपोषण की रोकथाम में इन सेवाओं के महत्व पर जानकारी दी जाये। उदाहरण स्वरूप यदि मां अपने बच्चे को हर माह आंगनवाड़ी केन्द्र पर वजन करवाने आती हैं तो इससे उसके बच्चे को क्या लाभ मिलेगा! इसी प्रकार यदि ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन गर्भवती महिला के खून की जांच होनी है तो गर्भवती महिला में एनिमिया और एनिमिया के कुपोषण पर दुष्प्रभाव के बारे में महिला को अवश्य बताया जाय। इस प्रयास का यह लाभ होगा कि विभिन्न सेवाओं के प्रति जनसमुदाय की जानकारी एवं सेवाओं हेतु मांग करने की प्रवृत्ति दोनों में वृद्धि होगी।

7. प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले प्रधानों से यह अपेक्षा है कि वे अपने ग्राम सभा की स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को क्रियाशील कराये तथा इस कार्य में सभी को संबद्ध करें।

8. अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0 एवं पंचायतीराज विभाग के समन्वय से किया जाय। इस हेतु आवश्यक व्यय जनपद द्वारा उक्त विभागों में प्रशिक्षण एवं आई0ई0सी0 मद में उपलब्ध बजट के कन्वर्जेन्स से किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. प्रत्येक विकास खण्ड में आयोजित होने वाली कार्यशाला हेतु एक नोडल प्रशिक्षक चिन्हित कर लिया जाय जिसके द्वारा कार्यशाला में प्रशिक्षण की कार्यवाही की जायेगी।

10. कार्यशाला में प्रतिभागियों की उपस्थिति भी दर्ज करायी जाय।

11. समस्त विकास खण्डो में कार्यशालाओं का आयोजन 31 मई, 2015 तक करना सुनिश्चित किया जाए।

इस कार्याशला के फालोअप के रूप में आवश्यक है कि सम्बन्धित कार्मिकों को पोषण हेतु आवश्यक विभिन्न हस्तक्षेपों आदि पर सतत रूप से ज्ञानवर्धन होता रहे। अतः जनपद स्तर पर स्वास्थ्य एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा फील्ड लेवल वर्कर्स हेतु आयोजित होने वाले विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी पोषण सम्बन्धी हस्तक्षेपों आदि की जानकारी दी जाय एवं इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण जिला पोषण समिति की बैठक में भी नियमित रूप से किया जाय।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जनपद स्तर पर तत्काल एक कार्ययोजना बनाते हुए उसे राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने एवं तद्नुसार कार्यशाला आयोजित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 24/1140/60-2-15-2/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
8. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।

सदाकान्त
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1

लैन्सेट 2008 एवं 2013 द्वारा प्रमाणित पोषण सम्बन्धी दस प्रभावी हस्तक्षेप
(Ten Low Cost – High Impact Intervension)

स्तनपान सम्बन्धी हस्तक्षेप

- **पोषण हस्तक्षेप 1**- जन्म के एक घण्टें के अन्दर स्तनपान की शुरूआत।
- **पोषण हस्तक्षेप 2**- शिशु को छः माह तक केवल मां का दूध, पानी भी नहीं।

छः माह से दो वर्ष के बच्चों के ऊपरी आहार सम्बन्धी हस्तक्षेप

- **पोषण हस्तक्षेप 3**- छः माह के बाद मां के दूध के साथ ऊपरी पोषक आहार की शुरूआत।
- **पोषण हस्तक्षेप 4**- आहार को बढ़ती आयु के साथ बढ़ाना। गरिष्ठता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना तथा मां का दूध 2 वर्ष तक जारी रखना।

सूक्ष्म-पोषक तत्व सम्बन्धी हस्तक्षेप

- **पोषण हस्तक्षेप 5**-बच्चों को विटामिन-ए, आयरन, जिंक, ओ0आर0एस0 तथा आयोडीन से आच्छादित करना ताकि उनकी प्रतिरक्षण क्षमता बढ़े और वे बीमारी से सुरक्षित रहें।
- **पोषण हस्तक्षेप 6**-बीमारियों से बचाव हेतु साफ-सफाई संबंधी व्यवहारों पर ध्यान।

अतिकुपोषित बच्चों की देखभाल एवं संदर्भन सम्बन्धी हस्तक्षेप

- **पोषण हस्तक्षेप-7** बीमारी के समय भी बच्चे का आहार जारी रखना।
- **पोषण हस्तक्षेप- 8** तीव्र कुपोषण (SAM) वाले बच्चों का उचित प्रबन्धन।

किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती स्त्री के पोषण सम्बन्धी हस्तक्षेप

- पोषण हस्तक्षेप 9- किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम।
- पोषण हस्तक्षेप 10- गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम व सही देखभाल (वजन की निगरानी, एक अतिरिक्त आहार व 04 स्वास्थ्य जांचे)

http://shasanadesh.up.nic.in